DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

हिन्दुस्तान नई दिल्ली, गुरुवार, 27 अप्रैल 2023

शास्त्री पार्क के पास बन रहे हाईवे की वजह से डीडीए फ्लैट्स में रहने वाले सैकड़ों परिवार परेशानी झेल रहे

खुले में हो रहे निर्माण से सांसों पर संकट

मुसीबत

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। शास्त्री पार्क के डीडीए फ्लैट्स में रहने वाले 400 से ज्यादा परिवारों का जीवन निर्माण कार्य के कारण उड़ रही धूल से धुंधला होता जा रहा है। धूल की वजह से बच्चे और बुजुर्ग खांसी और सांस की तकलीफ से जूझ रहें। दिल्ली-सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण धूल की मुख्य वजह है। आरडब्ल्यूए पदाधिकारी धूल को रोकने के लिए कदम उठाने की गुहार लगा चुके हैं।

चौबीस घंटे काम : आरडब्ल्यूए का कहना है कि उनकी सोसाइटी निर्माण स्थल से चंद कदम की दूरी पर है और यहां 24 घंटे पिलर बनाने का कार्य चल रहा है। अक्षरधाम से लेकर खजूरी चौक और दिल्ली-यूपी सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य चल रहा है। करीब 15 किलोमीटर के इस मार्ग पर एक तरफ गीता कॉलोनी, कैलाश नगर और मार्केट हैं। यह मार्केट सुबह 11 बजे से शाम सात बजे तक खुली रहती हैं। लेकिन शास्त्री पार्क के दोनों तरफ रिहायशी कॉलोनी हैं।

एक तरफ डीडीए के फ्लैट, जिनमें 400 से ज्यादा परिवार रहते हैं और दूसरी तरफ शास्त्री पार्क की झुग्गी बस्ती हैं। जिस स्थान पर हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है, वह फ्लैट्स के बिल्कुल समीप है। यहां पिलरों की खुदाई और वाहनों के आने जाने की वजह से 24 घंटे धूल उड़ती रहती है।

चिकित्सक बोले, हृदय से जुड़ी बीमारी का भी खतरा: एम्स के सांस रोग विभाग के वरिष्ठ डॉक्टर करन मदान ने बताया कि धूल में छोटे और बड़े दोनों तरह के प्रदूषक मौजूद होते हैं। बड़े आकार के प्रदूषक जैसे पीएम 10 और छोटे आकार के प्रदूषक पीएम 2.5 होते हैं। पीएम 10 की वजह से ऊपरी श्वसन तंत्र, आंख और नाक में जलन हो सकती है। छोटे आकार के कण सांस के जरिए आने पर अस्थमा, सांस लेने में सीटी की आवाज आना और ब्रोंकाइटिस की बीमारी हो सकती है। ये प्रदूषक इतने छोटे आकार के होते हैं कि खून के जरिए शरीर के अन्य हिस्सों में भी पहुंच जाते हैं। इससे दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है।

शास्त्री पार्क के पास दिल्ली-सहारनपुर हाईवे के निर्माण स्थल पर धूल उड़ने से रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं। ● सोनू मेहता

ये दिक्कतें हो रहीं

- आंखों में जलन
- गले का संक्रमण
- त्वचा संबंधी समस्याएं
- खांसी
- सांस संबंधी बीमारी

इन पर ध्यान देने की जरूरत

- निर्माण स्थल के आस-पास छिड़काव कराना चाहिए
- कंपनी के पास छिड़काव का इंतजाम नहीं है तो स्थानीय निकाय की मदद ले।
- निर्माण स्थल के आसपास रिहायशी कॉलोनी है तो सड़क किनारे लोहे की चादरें लगाएं।

निगम ने कहा, हम सिर्फ चालान कर सकते हैं

दिल्ली नगर निगम इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शास्त्री पार्क पर जो हाईवे बन रहा है उसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) करा रहा है। हालांकि, एनएचएआई को फ्लैट्स में धूल पहुंचने से रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए थे। निगम सिर्फ चालान काट सकता है।

उपाय के नाम पर खानापूर्ति

अप्सरा बॉर्डर रोड पर रामप्रस्थ चौक के पास फ्लाईओवर बन रहा है। ऐसे में यहां काफी मिट्टी डाली गई है, जो तेज हवाएं और वाहनों की आवाजाही के कारण उड़ती रहती है। इससे विज्ञान विहार कॉलोनी के लोग परेशान है। उपाय के नाम पर खानापूर्ति करते हुए मिट्टी को ढका गया है। रत्नेश मिश्रा बताते हैं कि अगर 30 सेकंड के लिए भी लालबत्ती पर खड़ा होना पड़ जाए तो मिट्टी में अट जाते हैं। विज्ञान विहार निवासी रितेश अरोड़ा बताते हैं कि दिनभर धूल उड़ती रही है। साइट पर स्प्रिंकलर तो दिखाई देता है, लेकिन वह चलता कब है पता नहीं।

एनसीआर का हाल

ग्रेटर फरीदाबाद की सोसाइटी के लोग परेशान

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के चलते उड़ती धूल से ग्रेटर फरीदाबाद की सोसाइटी समेत आसपास की कॉलोनी के लाखों परेशान हैं। वे आंख और त्वचा से संबंधित दिक्कत से जूझ रहे हैं। शहर की हवा भी प्रदूषित हो रही है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड फरीदाबाद की रीजनल अधिकारी स्मिता कनोडिया बताती हैं कि सभी निर्माण साइटों को एंटी स्मोगगन लगाने के निर्देश दिए हैं। निर्माण स्थलों की जानकारी डस्ट पोर्टल पर अपडेट की जाती है।

गाजियाबाद: हर दिन 100 बच्चे अस्पताल पहुंच रहे

जिले के राज नगर एक्सटेंशन, प्रताप विहार, सिद्धार्थ विहार, मधुबन बापूधाम, नूर नगर, सिहानी और निवाड़ी में कई निर्माण चल रहे हैं। बिल्डर और कार्यदायी संस्था को प्रदूषण की रोकथाम स्पष्ट निर्देश हैं। लेकिन मानकों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। धूल के कारण लोग कई तरह की दिक्कत के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार, जिले के दो बड़े अस्पतालों में प्रतिदिन 100 से ज्यादा बच्चे ओपीडी में पहुंच रहे हैं।

> धूल की वजह से बच्चे और बुजुर्ग खांसी और सांस की बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। सुबह जब घरों की सफाई की जाती है तो एक फ्लैट से कम से कम 200 ग्राम तक धूल निकलती है। हाईवे के निर्माण से हमें कोई आपत्ति नहीं लेकिन हमारे परिवारों के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखा जाए।
>
> – **प्रह्लाद**, अध्यक्ष, शास्त्री पार्क डीडीए फ्लैट आरडब्ल्यूए

> यहां करीब चार माह से अधिक का समय हो गया है निर्माण कार्य चलते हुए। तभी से लोग उड़ती धूल के कारण परेशान हैं। विभाग के अधिकारियों को पुख्ता कदम उठाने के लिए कई बार गुहार लगा चुके हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हर घर में कोई ना कोई खांसी और धूल से होने वाली दिक्कतों का सामना कर रहा है।
>
> – **मदन मोहन**, महासचिव, शास्त्री पार्क डीडीए फ्लैट आरडब्ल्यूए

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 27 अप्रैल 2023

DDA की फेक वेबसाइट पर आपने भी फ्लैट बुक किया?

जालसाज़ों की इस साइट से ठगी के कई शिकार हो चुके हैं

Vishal.sharma3@timesgroup.cm

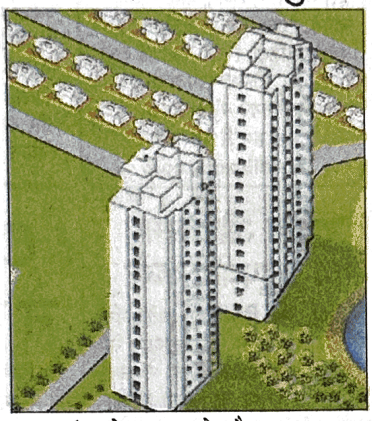

इंटरनेट पर डीडीए फ्लैट की तलाश कर वेबसाइट 'https://ddaflat.org.in/' टॉप पर दिखती है

■ **नई दिल्ली :** अगर आप भी डीडीए फ्लैट पाने का सपना साकार करने की चाह में वेबसाइट सर्च कर रहे हैं तो जरा संभल जाएं। क्योंकि वेबसाइट की आड़ में साइबर ठग ताक में बैठे हैं। शातिरों ने डीडीए का प्रतीक चिन्ह लगाकर न सिर्फ हूबहू वेबसाइट बनाई हुई है, बल्कि सर्च करने पर टॉप पर साइबर ठगों की फेक डीडीए वेबसाइट नजर आएगी। आपने जैसे ही इस पर क्लिक किया, यह एक दूसरे पेज पर ले जाएगा। जहां नाम, नंबर, पता, बैंक डिटेल और फ्लैट की एडवांस बुकिंग की रकम भरवाकर साइबर ठग ले लेंगे। आपको इस फेक वेबसाइट से सतर्क रहने की जरूरत है। जालसाजों की इस साइट से अनेक लोग शिकार हो चुके हैं। ताजा ठगी का शिकार एक शख्स हुआ है। उनकी शिकायत पर साइबर सेल नॉर्थ थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पीड़ित परिवार के साथ शालीमार गार्डन में रहते हैं। पुलिस को बयान दिया कि वह इंटरनेट पर डीडीए फ्लैट की तलाश कर रहे थे। एक वेबसाइट 'https://ddaflat.org.in/' टॉप पर दिखी। उसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि दी गई थी। हूबहू दिख रही साइट पर क्लिक कर अप्लाई करने पर दूसरा पेज खुला। जहां विवरण भरने के लिए बोला गया। एक यूजर नेम और पासवर्ड तैयार हुआ। वहां से एक अन्य पेज पर पहुंच गए। जहां आवेदन शुल्क के तौर पर 75,000/- जमा करने के लिए कहा गया। इन्होंने वेबसाइट पर दिए गए एक क्यूआर कोड को स्कैन किया। खाते से 75 हजार रुपये कट गए। इसके बाद वेबसाइट ने फिर से 25,000 फ्लैट की एनओसी के लिए जमा कराया। एक और क्यूआर कोड वेबसाइट पर दिखा। स्कैन किया और 25,000/- भी काट लिए।

इसके बाद वेबसाइट ने सिक्योरिटी मनी 5.5 लाख जमा करने के लिए कहा, जिस पर इन्हें शक हुआ। इसके बाद डीडीए ऑफिस में फोन कर पूछताछ की। पता चला कि यह डीडीए फ्लैट के नाम से फेक वेबसाइट है, जिसकी आड़ में ठगी हुई है। मामले में नैशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेंट रजिस्टर कराई। वहां से शिकायत नॉर्थ जिला साइबर को ट्रांसफर हुई। पुलिस को अंदेशा है कि इस फेक वेबसाइट से ठगी के सैकड़ों लोग शिकार हुए हैं।

लोगों ने तालाब को किया था गुलज़ार, फिर सूखने लगा

डीडीए से पानी का इंतजाम करने की मांग

■ **विशेष संवाददाता, द्वारका**

द्वारका में हो रहे निर्माण कार्यों की वजह से भूजल स्तर गिरने को बताया जा रहा है वजह

द्वारका सेक्टर-23 के डीडीए पार्क में बना तालाब सूखने की कगार पर है। लोगों की कोशिशों के बाद इस तालाब को पुनर्जीवित किया गया था। इसके बाद सरकारी मदद भी मिली। तालाब में पानी कम होने पर पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोग चिंता जता रहे हैं।

तालाब को रिवाइव करने में अहम भूमिका निभाने वाले दिवान सिंह ने बताया कि सेक्टर-23 के डीडीए पार्क में बना यह तालाब करीब 200 साल पुराना है। इसे लोग नया जोहड़ कहते हैं। यह पोचनपुर गांव में है। 2012 में सेक्टर-22, 23, पोचनपुर गांव के लोगों और सुख-दुख के साथी संस्था ने मिलकर इस तालाब को रिवाइव करने का काम किया। दिवान सिंह ने कहा कि इस तालाब के आसपास दो एकड़ की जगह को हम लोगों ने संरक्षित किया। इसकी वजह से इस तालाब को रिवाइव करने में मदद मिली और तालाब का इकोसिस्टम डिवेलप हुआ। अब इस तालाब के आसपास काफी निर्माण कार्य हो रहा है। इसकी वजह से भूजल स्तर नीचे जा रहा है। दूसरा गर्मी की वजह से पानी सूख रहा है। तालाब में पानी के कुछ अपने सोर्स थे, वह भी अब बंद हो गए हैं।

सुख-दुख के साथी संस्था के एसएस मान ने बताया कि डीडीए को इस तालाब को जिंदा रखने के लिए पानी के इंतजाम करने चाहिए। अगर तालाब ऐसे रहेगा तो दोबारा रिवाइव करना मुश्किल हो सकता है। दिवान सिंह के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड ने इस तालाब के लिए एसटीपी का पानी देने की बात की है, लेकिन एसटीपी के पानी से भरा सेक्टर-5 का तालाब गंदा और बदबूदार है।

उनका सुझाव है कि एसटीपी के पानी को सीधे जोहड़ में भरने की बजाय कुछ दूरी से बहाकर तालाब में लाया जाए ताकि वह प्राकृतिक तरीके से साफ हो जाए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS दैनिक जागरण नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2023 ----------DATED---- Hindustan Times

बिल्डिंग प्लान के लिए डीडीए अब शुरू करेगा सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम

संजीव गुप्ता • नई दिल्ली

- बिल्डिंग प्लान पास कराने के लिए नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर
- सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम से आनलाइन ही मिल जाएगी मंजूरी

कामकाज को सुगम बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को पूरा करने की दिशा में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए डीडीए जल्द ही सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम शुरू करेगा, जिससे अब बिल्डिंग प्लान पास कराने के लिए लोगों को डीडीए के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सिंगल विंडो आनलाइन पर ही आवेदन होगा और इसी पर स्वीकृति मिल जाएगी। इस दिशा में प्राधिकरण ने प्रस्ताव के लिए अनुरोध रिक्वेस्ट फार प्रपोजल (आरपीएफ) जारी कर दिया है। इसके माध्यम से डीडीए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सुविधा शुरू करने के लिए निविदा के माध्यम से उपयुक्त एजेंसी का चुनाव करेगा जो इस काम को शुरू करके आगे बढ़ाएगी।

डीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि इससे पहले बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति के लिए नागरिक सेवा केंद्र के काउंटर पर आवेदन देना होता था। फाइलें महीनों तक डीडीए के विभिन्न विभागों में घूमती रहती थीं लेकिन सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम शुरू होने से बिल्डिंग प्लान की फाइल केवल संबंधित अधिकारियों के पास ही जाएगी। यहां से तय समय में स्वीकृति मिल जाएगी और अगर जरूरी हुआ तो अन्य अधिकारी के पास से भी इस फाइल को आनलाइन ही मंजूरी मिल जाएगी। लोगों को भी पता रहेगा कि उनकी फाइल का स्टेटस क्या है, जबकि आफलाइन सिस्टम में लोगों को फाइल का स्टेटस पता करने में भी दिक्कत होती है।

विभागीय अधिकारी ने बताया कि आनलाइन बिल्डिंग प्लान स्वीकृति से बड़ी कमर्शियल व नान कमर्शियल बिल्डिंग, शापिंग काम्प्लेक्स, हाउसिंग सोसायटी, माल एवं मार्केट आदि के लिए स्वीकृति मिलना आसान हो जाएगा। अधिकारी ने यह भी बताया कि इस आनलाइन सिस्टम को शुरू करने से डीडीए की भी कार्यक्षमता बढ़ेगी और काम ज्यादा तेजी के साथ हो सकेगा। उन्होंने आगे कहा कि डीडीए अपनी शत प्रतिशत सेवाओं को आनलाइन करने के लिए तेजी से काम कर रहा है।

नरेला का होगा तेज विकास

द्वारका की तरह नरेला को उपनगरी के रूप में विकसित करने के लिए डीडीए काम कर रहा है। नरेला उपनगरी 18 सेक्टर में विभाजित होगा और यहां 16 लाख से ज्यादा लोगों का आशियाना होगा। होलंबी कलां और नरेला रेलवे स्टेशन इस क्षेत्र में आते हैं। होलंबी कलां में रेलवे टर्मिनल बनाया जा रहा है। नरेला स्टेशन के विकास पर लगभग साढ़े सात करोड़ रुपये खर्च होंगे। आने वाले समय में जरूरत के अनुसार और फंड जारी होगा। रेलवे के इस कदम से नरेला के विकास में मदद मिलेगी।

Waqf can't own property: Centre

Richa Banka
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi Waqf Board is not and cannot be the owner of any of the 123 properties and at best could only be a custodian, that too only if it's a Waqf property, the Union government has told the Delhi high court while opposing the board's plea against the inspection of the properties absolved of its control. The Centre added that "merely because certain properties were given on lease to various persons, does not ipso-facto mean that the said properties are converted into Waqf properties".

The land and development office (L&DO) of the ministry of housing and urban affairs (HUA) in February decided to take over 123 properties from the Delhi Waqf Board, including mosques, dargah and graveyards, based on the report of a two-member committee.

The deputy L&DO, in a letter to board chairman Amanatullah Khan, on February 8 informed him about the decision to absolve the Delhi Waqf Board from all matters related to the 123 properties based on the panel's report.

In an affidavit filed in response to the board's application to restrain the inspection and demolition of the 123 properties, the Centre said that neither the board nor anyone else can have the objection to any inspection, which would even otherwise be permissible under the Waqf Act.

The application was filed in a pending petition by the board against the letter dated February 8 absolving them of all the 123 properties.

Justifying its action, the Centre said that the letter to the board clearly indicated that inspection would be carried out of the 123 properties to give the factual position to the authorities for them to take a decision. "By the letter dated February 8, 2023, all that has been stated is that physical inspections are to be carried out of all the 123 properties," the Centre stated.

In a fresh application following the demolition of the boundary wall of a madrasa in Bengali Market area on April 12, the board told the court that, after the last date of hearing, DDA has started to send its employees to visit the 123 Waqf properties, along with police, who are affixing and distributing the notices/letters there.

Challenging the Union government's decision February 8 decision, the Waqf board has contended that these properties are either dargahs, mosques or graveyards, which have always remained in its possession and cannot be taken away now on the basis of a report of a two-member committee.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED- 27 अप्रैल, 2023

पंजाब केसरी
DELHI

केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया जवाब

दिल्ली वक्फ बोर्ड संपत्तियों का मालिक नहीं, केवल संरक्षक

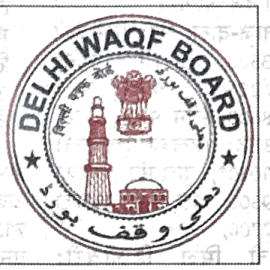

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने अपने नियंत्रण से बाहर संपत्तियों के निरीक्षण के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका का विरोध किया है। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि वक्फ बोर्ड 123 संपत्तियों में से किसी का भी मालिक नहीं है और न ही हो सकता है। वह केवल एक कस्टोडियन (संरक्षक) हो सकता है, वह भी तब अगर वह एक वक्फ संपत्ति है। केंद्र की ओर से कहा गया है कि केवल इसलिए कि कुछ संपत्तियों को विभिन्न व्यक्तियों को पट्टे पर दिया गया था, इसका वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि उक्त संपत्तियों को वक्फ संपत्तियों में परिवर्तित कर दिया गया है।

बता दें कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एचयूए) के भूमि और विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) ने फरवरी में दो सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों सहित दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है। केंद्र ने 123 संपत्तियों के निरीक्षण और तोड़फोड़ पर रोक लगाने के बोर्ड के आवेदन के जवाब में दायर एक हलफनामे में कहा है कि न तो बोर्ड को और न ही किसी और को किसी भी निरीक्षण पर आपत्ति हो सकती है, जो अन्यथा वक्फ अधिनियम के तहत स्वीकार्य होगा और जो किसी भी मामले में ऐसी संपत्तियों के संबंध में जमीनी स्तर पर प्राप्त होने वाली तथ्यात्मक स्थिति को स्पष्ट करेगा। वक्फ बोर्ड द्वारा 8 फरवरी के पत्र के खिलाफ उन्हें सभी 123 संपत्तियों से मुक्त करने की लंबित याचिका में आवेदन दायर किया गया था।

केंद्र ने अपनी कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा है कि बोर्ड को 8 फरवरी 2023 के पत्र ने स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया था कि 123 संपत्तियों का निरीक्षण किया जाएगा ताकि अधिकारियों को निर्णय लेने के लिए तथ्यात्मक स्थिति दी जा सके। केंद्र ने कहा कि अन्य सभी सब्मिशंस पर प्रतिकूल असर डाले बिना यह सम्मानपूर्वक बताया जाता है कि 8 फरवरी, 2023 के पत्र द्वारा, जो कुछ भी किया गया है और कहा गया है कि सभी 123 संपत्तियों का भौतिक निरीक्षण किया जाना है।

बाउंड्री वॉल गिराए जाने के बाद एक नए आवेदन में बोर्ड ने हाईकोर्ट को बताया कि सुनवाई की आखिरी तारीख के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अपने कर्मचारियों को पुलिस के साथ 123 वक्फ संपत्तियों का दौरा करने के लिए भेजना शुरू कर दिया है। जो 123 वक्फ संपत्तियों में शामिल वक्फ संपत्तियों/मस्जिदों में नमाज के वक्त नोटिस/पत्र चिपका और बांट रहे हैं। इससे पहले हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड द्वारा इस बात की ओर ध्यान दिलाने के बाद केंद्र से जवाब दाखिल करने को कहा था कि इस मामले में कई सुनवाई के बावजूद केंद्र द्वारा आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया है।

अपने जवाब में केंद्र ने कहा है कि विवादित संपत्तियां 1911 और 1914 के बीच भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही का विषय थीं, जिसके अनुसार इन 123 संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया था, मुआवजा दिया गया था, कब्जा लिया गया था और म्यूटेशन उनके पक्ष में किया गया था। इसमें कहा गया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का गठन वक्फ एक्ट 1954 के तहत किया गया था और इस स्थिति को देखते हुए बोर्ड के पास 1911 से 1914 तक संपत्तियों के अधिग्रहण पर कोई भी सवाल उठाने का अधिकार या क्षमता नहीं है। सरकार ने आगे कहा कि बोर्ड को इस मामले को देखने के लिए 2021 में गठित दो सदस्यीय समिति के समक्ष सभी दस्तावेज और तथ्य पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए गए थे। केंद्र ने कहा कि इसलिए यह पूर्व दृष्टया स्पष्ट है कि बोर्ड को उक्त संपत्तियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, यहां तक कि उसने समिति के सामने पेश होने और अपनी आपत्तियों को दर्ज करने की भी परवाह नहीं की। केंद्र सरकार के 8 फरवरी, 2023 के फैसले को चुनौती देते हुए वक्फ बोर्ड ने तर्क दिया है कि ये सभी संपत्तियां दरगाह, मस्जिद या कब्रिस्तान हैं, जो हमेशा उसके कब्जे में रही हैं और दो सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अब इसे वापस नहीं लिया जा सकता है।